

पत्र संख्या-बजट-01/रा0, 2012-13...../रा0

बिहार सरकार

मंत्रिमंडल सचिवालय (राजभाषा) विभाग

प्रेषक,

विजय कुमार वर्मा,
सरकार के संयुक्त सचिव,

सेवा में,

अपर सचिव-सह-निदेशक,
मंत्रिमंडल सचिवालय (राजभाषा) विभाग।

विषय:-

बजट शीर्ष- "2052-सचिवालय सामान्य सेवाएँ-090-सचिवालय-0016-राजभाषा"
मांग सं०-4 विपत्र कोड-एन०-2052000900016 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष
2012-13 के लिए बिहार राज्य आकस्मिकता निधि अग्रिम के अधीन स्वीकृत राशि
का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सम्बद्ध कार्यालय को अंकित इकाईवार राशि का आवंटन
निम्न रूप में स्वीकृत किया जाता है:-

क्र.सं.	कोड एवं प्राथमिक इकाई	राजभाषा मुख्यालय
1	2	3
1	13 01 कार्यालय व्यय	650000
	कुल योग	650000

(कुल - छः लाख पचास हजार रुपये मात्र)

2/ यह राशि वित्त विभाग के ज्ञाप संख्या-40C.F दिनांक-11.09.12 द्वारा
बिहार राज्य आकस्मिकता निधि अग्रिम एवं विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-52/रा0,
दिनांक 20.09.12 के अधीन स्वीकृत है, जिसका आवंटन राजभाषा मुख्यालय के
कार्यालय व्यय मद से होने वाले व्यय के भुगतान के लिए किया जाता है।

3/ यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561/वि0, दिनांक-
17.04.98 एवं 4201/वि0, दिनांक-12.04.12, एवं 422/वि0, दिनांक-31.03.12 के
आलोक में स्वीकृत है।

4/ राशि की निकासी एवं व्ययन में वित्त विभाग के अद्यतन
आदेशों/निदेशों का कड़ाई से पालन किया जाए।

5/ आवंटित राशि का व्यय निर्धारित समय सीमा के अधीन सुनिश्चित
किया जाय एवं व्यय की गई राशि की इकाईवार मासिक निकासी निश्चित रूप से
प्रस्तुत की जाए।

विश्वासभाजन

ह0/-

(विजय कुमार वर्मा)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञाप संख्या-बजट-01/स० , 2012-13...../स० , पटना , दिनांक-..... ,

प्रतिलिपि : कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए दी जाती है।

ह0/-

(विजय कुमार वर्मा)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञाप संख्या-बजट-01/स० , 2012-13...../स० , पटना , दिनांक-.....

प्रतिलिपि : लेखा प्रशाखा (तीन प्रतियों में)/बजट प्रशाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए दी जाती है।


ह0/-

(विजय कुमार वर्मा)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञाप संख्या-बजट-01/स० , 2012-13...10389.../स० , पटना , दिनांक-25.9.12..

प्रतिलिपि : संयुक्त सचिव (कोषांग), मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग/आई0टी0 मैनेजर, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए दी जाती है।



(विजय कुमार वर्मा)

सरकार के संयुक्त सचिव